## प्रेस नोट दिनांक 22.08.2026

### थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बकरा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी किया गया 01 अदद बकरा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बकरा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त मजीद पुत्र रशीद को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे/निशानदेही पर चोरी किया गया 01 अदद जिंदा बकरा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 20.08.2026 को वादी राजाराम यादव पुत्र रामफल यादव निवासी ग्राम बनवीर काछ (दुजई का पुरवा), थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उसका बकरा घर के पास चर रहा था, तभी फैसल पुत्र अज्ञात निवासी सहिजन मोहल्ला प्रतापगढ़ सिटी, चुन्नी पुत्र अज्ञात निवासी खिरकिया प्रतापगढ़ सिटी एवं मजीद पुत्र रशीद निवासी सिटी चौकी के पास द्वारा मोटरसाइकिल पर लादकर बकरा चोरी कर ले जाया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 235/2026, धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह नेतृत्व में के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 22.08.2026 को उ0नि0 इंदेश कुमार प्रजापति मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर किला मोड़, प्रतापगढ़ सिटी के पास से अभियुक्त मजीद पुत्र रशीद निवासी चक फतेह अली शाह, कस्बा सिटी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों फैसल एवं चुन्नी के साथ मिलकर बकरा चोरी करने की बात स्वीकार की गई तथा चोरी किए गए बकरे को छिपाकर रखने के स्थान की जानकारी दी गई।

अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चोरी किया गया 01 अदद जिंदा एवं स्वस्थ बकरा बरामद किया गया। वादी मुकदमा को मौके पर बुलाकर बरामद बकरे की पहचान कराई गई, जिस पर वादी द्वारा उक्त बकरे को अपना बताया गया। नियमानुसार सुपुर्दगी नामा तैयार कर बरामद बकरा वादी के सुपुर्द किया गया। चोरी की संपत्ति छिपाकर रखने के संबंध में पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ पूर्व में भी थाना लीलापुर क्षेत्र के गाबी महुआवन से दिनांक 22.07.2026 को 05 बकरियां, गुलरिहा से दिनांक 03.08.2026 की रात्रि में 03 बकरियां तथा कटैया नेवादा से दिनांक 12.08.2026 की रात्रि में 04 बकरियां चोरी कर विभिन्न स्थानों पर बेचने की बात बताई गई है। उक्त घटनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी संकलित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मजीद पुत्र रशीद, निवासी चक फतेह अली शाह, कस्बा सिटी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
01 अदद जिंदा बकरा (चोरी का), जिसे नियमानुसार वादी के सुपुर्द किया गया।

आपराधिक इतिहास मजीद पुत्र रशीद निवासी चक फतेह अली शाह कस्बा सिटी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़
1.मु0अ0सं0 330/2022 धारा 380,411,457 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़
2.मु0अ0सं0 1082/2022 धारा 380,411,457 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ
3.मु0अ0सं0 235/2026 धारा 303(2) 317(2)317(5) बीएनएस थाना को0देहात प्रतापगढ

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 इंदेश कुमार प्रजापति मय हे0का0 अजय कुमार, का0 रितेश, का0 मनीष एवं का0 सुरेन्द्र, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।**

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 प्रशान्त कुमार मय हमराह का सन्तोष यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा क्रि० अपील नं0 926/2001 बशीर अहमद व अन्य बनाम राज्य उ0प्र0 के प्रकरण में निर्गत वारण्ट, एसटी नं0 506/1994, मु0अ0सं0 220/1994, धारा 302/34 भा0द0वि0, थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त

भुल्लर पुत्र उमर खान नि०ग्राम नौतरवा मजरे सिंधौर, थाना जेठवारा वर्तमान थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. भुल्लर पुत्र उमर खान नि०ग्राम नौतरवा मजरे सिंधौर, थाना जेठवारा वर्तमान थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रशान्त कुमार मय हमराह का सन्तोष यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।**

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ करियऊ को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना आसपुर देवसरा पर पंजीकृत धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 22.08.2026 को चौकी प्रभारी सैफाबाद उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का0 प्रतीक कुमार द्वारा सैफाबाद क्षेत्र में वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम पर्वतपुर सुलेमान स्थित नहर पुलिया के पास से अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ करियऊ पुत्र हरीराम गौतम निवासी ग्राम केशवपट्टी थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त पर्वतपुर सुलेमान की नहर पुलिया के पास पटरी पर खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा में मुकदमा पंजीकृत है तथा गिरफ्तारी के डर से वह भागने का प्रयास कर रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
प्रमोद कुमार उर्फ करियऊ पुत्र हरीराम गौतम, निवासी ग्राम केशवपट्टी, थाना शिवगढ़, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 योगेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी सैफाबाद मय का0 प्रतीक कुमार, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।**

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारण्ट में वांछित 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर के नेतृत्व में उ0नि0 आशु कुमार मय हमराह का0 जगदीश प्रसाद द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
आज दिनांक 22.08.2026 को उ0नि0 आशु कुमार मय हमराह का0 जगदीश प्रसाद द्वारा क्षेत्र में वारण्टी अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ पहुंचकर माननीय न्यायालय से जारी वारण्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त शाहरुख पुत्र बाबू भाई उर्फ शमसुद्दीन, निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 34 वर्ष को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त के विरुद्ध माननीय सिविल जज जू०डि०/एफटीसी कोर्ट संख्या-03 जनपद प्रतापगढ़, ओल्ड क्रि0 केस सं0-1667/2018, राज्य बनाम अरबाज/कन्धई, मु0अ0सं0-396/2018 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्ट जारी था। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-
शाहरुख पुत्र बाबू भाई उर्फ शमसुद्दीन, निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 34 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 आशु कुमार मय हमराह का0 जगदीश प्रसाद, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 64/74/75/351(3) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त सरोज कुमार सिंह उर्फ भुवर सिंह को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात की महिला हेल्पडेस्क के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 22.08.2026 को उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह मय हमराह रि0का0 धीरेन्द्र कुमार एवं रि0का0 राहुल चौबे द्वारा थाना क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण एवं वांछित अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी के दौरान अन्तर्गत धारा 64/74/75/351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सरोज कुमार सिंह उर्फ भुवर सिंह पुत्र स्व0 गंगा राम सिंह निवासी ग्राम पूरविया पट्टी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष को थाना कोतवाली देहात की महिला हेल्पडेस्क के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद टेक्नो मोबाइल फोन, 01 अदद आधार कार्ड, 03 अदद पेन, ₹500 नगद एवं 03 अदद सादा कागज बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सरोज कुमार सिंह उर्फ भुवर सिंह पुत्र स्व0 गंगा राम सिंह, निवासी ग्राम पूरविया पट्टी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष।

बरामदगी विवरण-
01 अदद टेक्नो मोबाइल फोन
01 अदद आधार कार्ड
03 अदद पेन
₹500 नगद
03 अदद सादा कागज

पुलिस टीम-
उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह मय हमराह रि0का0 धीरेन्द्र कुमार एवं रि0का0 राहुल चौबे, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़**

वायरल वीडियो में बैल के साथ क्रूरता करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध थाना महेशगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा वायरल वीडियो की जांच की गई। जांच के दौरान वीडियो में बैल के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान रंजीत पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम सराय स्वामी, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में की गई। जांच में पाया गया कि उक्त बैल उसी का है तथा उसे उठाने के प्रयास के दौरान अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाई गई थी।

पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्त के उत्तेजित होकर फौजदारी पर आमादा होने एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत उसे अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई।

पुलिस टीम- उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह का0 सुनील कुमार एवं का0 अनिल कुमार यादव, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।